प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सार्थकता

डी.डी. गौतम*

प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक के साथ-साथ सह-शैक्षिक गतिविधियों को शिक्षण प्रक्रिया में समाहित किया गया है, इससे सीखना गतिविधि-आधारित, आनंददायी, रुचिकर एवं बाल उपयोगी हो जाता है इसके साथ ही बच्चे को अपनी गति, रुचि एवं स्तर के अनुरूप स्वयं करके सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। बच्चों के सीखने के स्तर के दस्तावेज़ीकरण तथा मूल्यांकन के साथ-साथ अधिगम में अंतर्संबंध के उद्देश्य से परंपरागत शिक्षण एवं मूल्यांकन (सी.सी.ई.) पद्धति में सकारात्मक बदलाव करते हुए मूल्यांकन की नई पद्धति 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' को लागू किया गया है, जो विद्यार्थी के सीखने के सभी पक्षों पर ध्यान देती है। शिक्षण एवं मूल्यांकन पद्धति में सकारात्मक बदलाव से बच्चों का शिक्षण के दौरान समग्र आकलन करते हुए अधिगम सुनिश्चित किया जाता है। प्रस्तुत लेख में बताया गया है कि राजस्थान में सतत एवं समग्र मूल्यांकन लागू किया जा रहा है। उसे सुचारु रूप से लागू करने हेतु अनेक बिंदुओं को शामिल किया गया है, इस लेख में उन अवयवों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

© NCERT not to be republished

शिक्षा केवल शब्दों के सुनने अथवा किताबों के पढ़ने से नहीं मिलती बल्कि बच्चा अपने चारों ओर के वातावरण एवं अनुभवों से स्वतः ही सीखता है। हाँ, विद्यालय की कक्षा-कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के माध्यम से स्वाभाविक क्रियाओं को करने की प्रेरणा अवश्य मिलती है। इसके अंतर्गत विद्यालयों का संगठनात्मक ढाँचा मज़बूत करने, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और प्रत्येक बच्चे को अधिगम के समान अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास मुख्य हैं। वर्तमान परिदृश्य में प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा की नींव की संज्ञा दी गई है। इस हेतु *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की पहल की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बहुआयामी संप्रत्यय है। एक ऐसी शिक्षा, जिसमें शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप उन्मुख दृष्टिकोण और बुनियादी कौशल के साथ-साथ व्यक्तिगत क्षमताओं, रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा, मूल्यपरक एवं संस्कारी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है।

* *अतिरिक्त ज़िला शिक्षा अधिकारी*, संयुक्त निदेशक कार्यालय, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर (राजस्थान)

इसके अंतर्गत बच्चों को सीखने के पर्याप्त एवं समान अवसर उपलब्ध होते हैं तथा वे ज्ञान का सृजन करते हुए संज्ञानात्मक एवं कौशल विकास का मार्ग प्रशस्त करते है। इससे बच्चे में सशक्तीकरण, सक्रिय सहभागिता, भावात्मक संबलन, आत्मविश्वास में अभिवृद्धि, अधिगम प्रक्रिया में समग्रता, समसामयिक संदर्भ में सर्वांगीण विकास संभव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों की क्षमताओं की पारस्परिक सक्रिय सहभागिता एवं व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण को उन्मुख किया जा सकता है।

शिक्षाशास्त्र विषय के अंतर्गत आकलन एवं मूल्यांकन वृहद् विषय है जिसका महत्व समसामयिक सामाजिक संदर्भ से है जो सभी के लिए समतुल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को लक्ष्य मानता है। सी.सी.ई. के सैद्धांतिक पक्ष में यह समाहित है कि बच्चों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण एवं सकारात्मक बदलाव किया जाए। सी.सी.ई. के संदर्भ में पहली अवधारणा सततता, दूसरी समग्रता है जो (सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा) है तथा तीसरा पक्ष आकलन् है। समग्रता का आशय शिक्षण कार्य के साथ-साथ कला, संगीत व स्वास्थ्य का समेकित स्वरूप है जिससे बच्चों के संज्ञानात्मक कौशलों का विकास हो सके।

सी.सी.ई. प्रक्रिया समुदाय और बच्चों को जोड़कर सीखने-सिखाने में गुणवत्ता को बढ़ाने की अवधारणा को प्रबल करती है, जिससे बच्चों में अधि-संज्ञानात्मक क्षमता का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिक शोध यह स्पष्ट करते हैं कि जैसे-जैसे बच्चे स्वयं सीखने के प्रति सजग होते जाते हैं, वैसे-वैसे ही बुद्धिमता में वृद्धि होती जाती है। अतः सी.सी.ई. में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिससे सीखने-सिखाने की व्यवस्था में आमूल-चूल और सकारात्मक बदलाव की परिकल्पना की जा सकती है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में दार्शनिक एवं शिक्षाविदों के विचार

यूनेस्को ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मानवाधिकार माना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा बच्चों में उचित आदतें उत्पन्न कर सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना द्वारा जीने की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का आशय केवल अंक-अक्षर का ज्ञान नहीं अपितु व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व विकास एवं चारित्रिक संस्कारों को निर्मित करना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है।

भारतीय संविधान की मंशा सबके लिए शिक्षा की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाने के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया, ताकि प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से सहज एवं सुलभ गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा दी जा सके। इसके अंतर्गत विद्यालयों में बच्चों के सीखने को स्थायी बनाने, सीखने में आ रही चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने तथा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने पर बल दिया है। ताकि बच्चों को अपनी गति, रुचि एवं स्तर के अनुरूप स्वयं करके सीखने के अवसर उपलब्ध हो सकें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों का

© NCERT not to be republished

संगठनात्मक ढाँचा मज़बूत करने, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, प्रत्येक बच्चे को अधिगम के समान अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य मुख्य हैं। आज आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश से एक ही कक्षा में विभिन्न शैक्षिक स्तर के बच्चों की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्तमान में शिक्षा के बदलते स्वरूप की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), ने परंपरागत शिक्षण एवं मूल्यांकन पद्धति में सकारात्मक बदलाव एवं शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) सुझाया, जिससे शिक्षण के दौरान बच्चे की शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों का समग्र आकलन करते हुए अधिगम सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में बाल उपयोगी एवं बाल-केंद्रित शिक्षाशास्त्र के अनुसार गतिविधि-आधारित अधिगम सुनिश्चित किया जाता है, साथ ही सी.सी.ई. पद्धति से प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा के मूल उद्देश्यों को रेखांकित किया जा सकता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य

- शिक्षा के प्राथमिक स्तर की नींव मज़बूत करना।
- *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* एवं शिक्षा का अधिकार 2009 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना।
- बच्चों में पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास करना।
- बच्चों में स्वयं ज्ञान सृजन करने की क्षमताओं को विकसित करना।
- विद्यालयों में बच्चों को आयु अनुरूप प्रवेश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों को दायित्वों के प्रति जवाबदेह बनाना।
- भयमुक्त परीक्षा प्रणाली के सिद्धांतों को लागू करना।
- बच्चों में बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं दार्शनिक सोच को विकसित करना।
- कक्षा 8 तक *नो रिटेन्शन* की बाध्यता सुनिश्चित करना।
- जीवनोपयोगी एवं मूल्यपरक शिक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों में भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध करवाना।
- शिक्षण प्रक्रिया में करके सीखना विधि का व्यवहारिक अनुप्रयोग।
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को तर्कपूर्ण, खोजपरक, आनंददायी एवं रोचक बनाना।
- बदलती शिक्षण व्यवस्था में आ रही चुनौतियों का निराकरण करना।
- शिक्षण कार्य में नवाचार को समाहित करते हुए कक्षावार-विषयवार अधिगम प्रतिफल की संप्राप्ति।
- बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं सीखने की गति के अनुरूप शिक्षण कार्य।
- बाल-उपयोगी एवं बाल-केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

© NCERT not to be republished

- शिक्षण एवं आकलन-मूल्यांकन प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण करना।
- शैक्षणिक प्रक्रिया में समग्रता एवं समसामयिक संदर्भ में बच्चों का चहुँमुखी विकास करना।
- बच्चों में खोजपरक अभिरुचि के माध्यम से वैज्ञानिक सोच विकसित करना।
- पर्यावरण संसाधन, जनसंख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी संचेतना विकसित करना।
- बच्चों की वैयक्तिक भिन्नताओं की पहचान कर उसके अनुसार अधिगम के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बच्चों में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक कर्तव्यपरायणता, त्याग, सहयोग, सहनशीलता, शिष्टाचार, नैतिकता, विनम्रता और समता के गुणों का विकास करना।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के घटक

- विद्यालय/संस्थान
- संस्थागत व्यवस्था
- विद्यार्थी
- शिक्षक
- शिक्षण विधाएँ
- आकलन-मूल्यांकन पद्धति
- अभिभावक
- समुदायिक सहभागिता
- संसाधन उपलब्धता
- शिक्षा विभाग
- शासन व्यवस्था

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) संचालन की प्रक्रिया

राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) पद्धति को लागू किया गया, जिसका विस्तार करते हुए वर्तमान में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कक्षावार एवं विषयवार अधिगम प्रतिफल/संप्राप्ति के उद्देश्य से कक्षा 1–5 में सी.सी.ई. के अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण कार्य में सी.सी.ई. की उपादेयता को उपयोगी समझते हुए माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में इसे स्टेट इनिशिएटिव फ़ॉर क्वालिटी एजुकेशन (एस.आई.क्यू.ई.) के रूप में अपनाया गया।

सततता

सततता का आशय लगातार व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा व नियोजन आदि से सीधी-सीधी जुड़ी हुई है।

व्यापकता

मूल्यांकन की व्यापकता में मूल्यांकन के क्षेत्रों एवं तरीकों की व्यापकता अंतर्निहित है। यह बच्चों को उपलब्ध करवाए जाने वाले अवसरों, तरीकों व अनुभव में देखी जा सकती है।

© NCERT not to be republished

आकलन एवं मूल्यांकन

आकलन छोटे-छोटे उद्देश्यों के साथ किया जाता है। आकलन, मूल्यांकन का ही आधार होता है जिसके द्वारा कार्य की प्रक्रिया में निरंतर सुधार किया जाता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें अपेक्षित दक्षताओं के विकास के स्तर का निर्धारण किया जाता है।

बाल-केंद्रित शिक्षण शास्त्र

बाल-केंद्रित शिक्षण शास्त्र (सी.सी.पी.) का आशय है बच्चे के अनुभव, स्तर और बच्चे की सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, ताकि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों के मद्देनजर शिक्षा को नियोजित किया जा सके। इसमें प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों के अनुभवों, विचारों व सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चा न केवल पुस्तक से अधिगम करता है, बल्कि अपने सहपाठी, परिवेश अथवा वातावरण से भी शिक्षा ग्रहण करता है। इससे बच्चे के पुस्तकीय ज्ञान को परिवेशीय सजगता से जोड़कर अधिगम का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलती है, जिससे बच्चे अपने अनुभव, विचार और सहभागिता के आधार पर ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को कार्य करके सीखने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शिक्षण योजना का निर्माण किया जाता है।

गतिविधि-आधारित अधिगम

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, प्रत्येक बच्चा अपनी गति, स्तर एवं रुचि के अनुसार सीखता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 (घ) के अनुसार सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बालकों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप, गतिविधि-आधारित एवं खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। इस हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रत्येक बच्चे के सीखने को सुनिश्चित करने लिए गतिविधि-आधारित अधिगम (ए.बी.एल.) की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

सीखने के प्रतिफल

विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था के विकास की रचना में सीखने के प्रतिफल एक प्रभावी साधन है। इसमें कक्षावार एवं विषयवार बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्धारण किया गया है। इसके द्वारा बच्चों की शैक्षिक प्रगति का आकलन किया जा सकता है। यह सीखने-सिखाने की समावेशित प्रक्रिया के मापदंड का मानक है।

सी.सी.ई. के अंतर्गत विद्यालयों हेतु सामग्री

विद्यालयों में योजनांतर्गत कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करने, बच्चों की अपेक्षित दक्षताओं एवं प्रगति को नियमित दर्ज करने तथा बच्चों की कक्षावार एवं विषयवार अधिगम संप्राप्ति की उपलब्धि को संधारण करने के उद्देश्य से कक्षा 1–5 के लिए आवश्यकतानुसार संवर्धित सामग्री का विकास किया गया है जिससे शिक्षक, कक्षागत शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संधारित कर सके। सी.सी.ई. के अंतर्गत सामग्री, जिसे विद्यालय स्तर पर अध्यापन कार्य करवाने वाले शिक्षकों के द्वारा संधारित किया जाता है, अग्रलिखित हैं—

© NCERT not to be republished

- **शैक्षिक सत्र और कक्षावार पाठ्यक्रम विभाजन**— इसे प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सत्रवार पाठ्यक्रमणीय अधिगम उद्देश्यों की पुस्तिका के रूप में तैयार किया गया है जिससे संपूर्ण पाठ्यक्रम को तय समयावधि में तदनुरूप अधिगम गतिविधियों का आयोजन किया जा सके। इसके अंतर्गत कक्षावार-विषयवार पाठ्यक्रम तालिका में अधिगम क्षेत्र/घटक, सीखने के प्रतिफल, अधिगम उद्देश्यों, पाठ का शीर्षक और पाठ में आए प्रमुख अधिगम बिंदु समाहित किए गए हैं। इसके द्वारा पाक्षिक योजना निर्माण, कक्षा-कक्षीय गतिविधियों के निर्धारण तथा सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने में शिक्षकों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
- **अध्यापक योजना डायरी**— सी.सी.ई. की अवधारणा में शिक्षक द्वारा बच्चों के अधिगम स्तर का निर्धारण करके शिक्षण कार्य के दौरान ही मूल्यांकन/आकलन का कार्य निहित होता है। पाठ्यक्रम विभाजन के आधार पर बच्चों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप समूह निर्धारण कर शिक्षण योजना तैयार की जाती है। शिक्षण योजना पाक्षिक रूप से निरंतर बनाई जाती है। इसमें शैक्षिक लक्ष्यों के आधार पर योजनागत शिक्षण कार्य करवाया जाना निहित है। शिक्षक द्वारा योजनानुसार किए जा रहे शिक्षण कार्य का संस्था प्रधान द्वारा अवलोकन के उपरांत अभिमत दर्ज किया जाता है।
- **आकलन सूचक अंकन पुस्तिका**— इस दस्तावेज़ में विद्यार्थियों के साथ किए गए कक्षावार एवं विषयवार रचनात्मक कार्यों की उपलब्धियों को दर्ज किया जाता है। इसके निर्धारित प्रारूप में विषयवार अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष प्रत्येक विद्यार्थी का आधार रेखा मूल्यांकन दर्ज कर, तदनुरूप प्रत्येक रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन में शैक्षिक प्रगति की स्थिति को A/B/C ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के अंत में विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि को समेकित करते हुए अधिगम क्षेत्रों के अनुरूप दर्ज कर बच्चों के आगामी कक्षा स्तर का निर्धारण किया जाता है।
- **वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका (स्कूल रजिस्टर)**— वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के समेकन का प्रामाणिक दस्तावेज़ है जिसे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए निर्धारित प्रारूप में पृथक-पृथक रूप से संधारित किया जाता है। इस पंजिका में विषयाध्यापकों का विवरण, पदस्थापन प्रारूप, विषयवार एवं अधिगम क्षेत्रवार उपलब्धि आदि दर्ज किए जाते हैं। इसमें बच्चों की शैक्षिक प्रगति के अलावा सह-शैक्षिक यथा व्यक्तिगत अभिवृत्तियाँ, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कला शिक्षा के अंतर्गत संगीत, चित्रकारी, दस्तकारी, नाटक और नृत्य की अभिरुचि को भी दर्ज किया जाता है।
- **पोर्टफ़ोलियो**— पोर्टफ़ोलियो से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि में बच्चे की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि के संचयी साक्ष्य को एक फ़ाइल में रखा जाता है। बच्चों की कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन

© NCERT not to be republished

के दौरान अकादमिक प्रगति यथा मौखिक एवं लिखित साक्ष्य के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास संबंधी दस्तावेज़ संकलित किए जाते हैं और इसे समय-समय पर अभिभावकों से साझा किया जाता है।

- **विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन (रिपोर्ट कार्ड)**— यह प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षिक स्थिति के अभिलेख के रूप में सत्रांत पर दिया जाता है। इसमें कक्षावार-विषयवार अधिगम स्तर/कौशलों के सापेक्ष ग्रेड A/B/C दर्ज किए जाते हैं।

ग्रेड देने का आधार

- A = स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना या अपेक्षित स्तर की समझ/दक्षता होना।
- B = शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ या दक्षता होना।
- C = शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ/दक्षता होना।

कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया

सी.सी.ई. के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया का क्रियान्वयन सतत शिक्षण एवं आकलन की अवधारणा को समाहित करते हुए किया जाता है। शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम विभाजन एवं अग्रिम संप्राप्ति के अनुरूप शिक्षण योजना का निर्माण कर तद्नुरूप कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में शिक्षण करवाते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बच्चों की रुचि एवं सीखने की गति के अनुरूप सामूहिक, उपसमूह तथा व्यक्तिगत कार्य किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक नवीन विधाओं को सम्मिलित कर शिक्षक सहायक सामग्री के उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं।

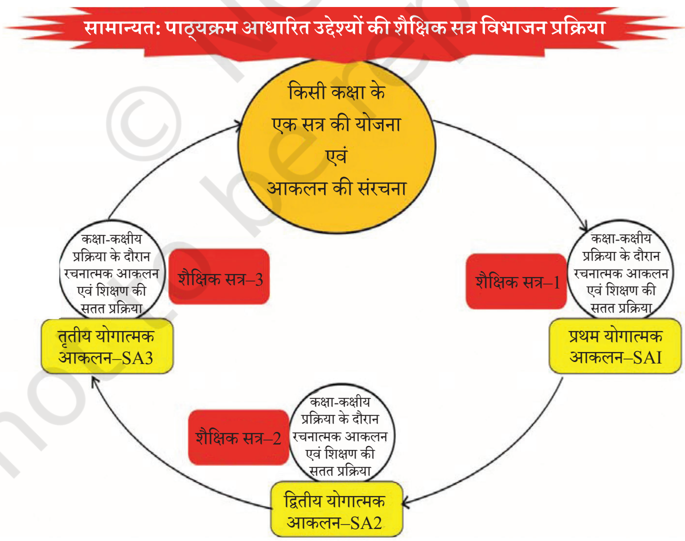

© NCERT not to be republished

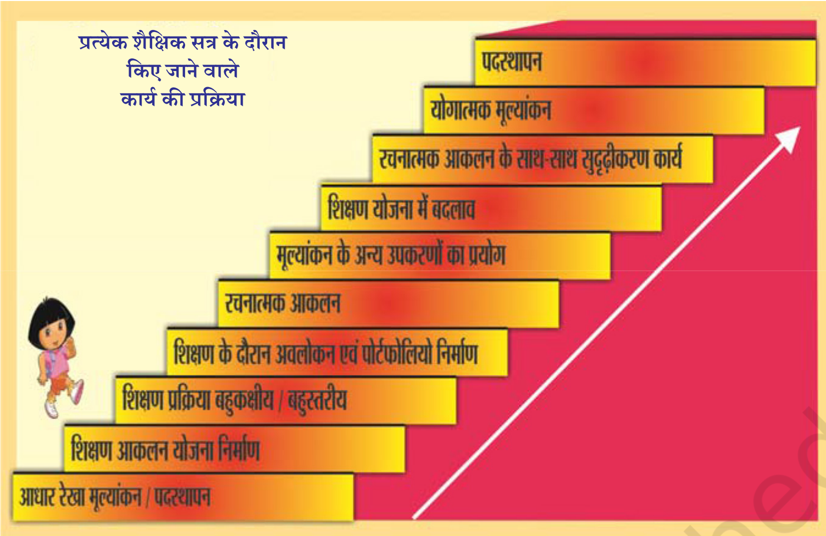

प्रत्येक शैक्षिक सत्र के दौरान किए जाने वाले अकादमिक कार्यों की प्रक्रिया

विद्यालय अवलोकन

विद्यालयों में बच्चों के शैक्षिक स्तर के साथ-साथ सह-शैक्षिक गतिविधि के विभिन्न पक्षों की समीक्षा, शिक्षण में आ रही चुनौतियों एवं इनके समाधान तथा अकादमिक संबलन प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालय अवलोकन/निरीक्षण किया जाता है। सी.सी.ई. की अवधारणा में अवलोकनकर्ता एक निरीक्षणकर्ता की भूमिका में न होकर एक संबलनकर्ता के रूप में होता है। वह समुचित अकादमिक पक्षों का अवलोकन करते हुए न्यून प्रगति वाले बच्चों के शैक्षिक स्तर उन्नयन हेतु संस्था प्रधान एवं शिक्षकों से चर्चा कर सुझावों को निरीक्षण पंजिका में दर्ज करते हैं, जिससे आगामी अवलोकन में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

हमारे दायित्व

शिक्षक के रूप में

- बाल-केंद्रित शिक्षण के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया सम्पन्न कराना।
- आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन कर समूह के अनुसार शिक्षण आकलन योजना बनाना।
- कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में योजनानुरूप शिक्षण करवाते हुए समीक्षा एवं सतत आकलन करना।
- बच्चों की शैक्षिक प्रगति को निर्धारित दस्तावेज़ों में नियमित दर्ज कर अभिभावकों से साझा करना।

संस्था प्रधान के रूप में

- कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए शिक्षण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

© NCERT not to be republished

- यथासमय संबलन प्रदान करते हुए शैक्षिक प्रगति का अभिलेख संधारण सुनिश्चित करवाना।
- मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन करना व शिक्षकों की चुनौतियों के समाधान का प्रयास करना।
- एस.एम.सी./पी.टी.एम./एम.टी.एम. की बैठक में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति को साझा करना।

समुदाय सहभागिता

विद्यालय में समुदाय की सहभागिता से न केवल बच्चों की प्रगति बेहतर होती है, बल्कि इससे शिक्षक के मनोबल में भी वृद्धि होती है। सी.सी.ई. में अभिभावकों द्वारा शिक्षक से चर्चा कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इससे विद्यालय में बच्चों की नियमितता एवं ठहराव बढ़ता है, साथ ही गुणवत्ता शिक्षा उन्नयन में समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व परिलक्षित होता है।

अतः राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की नींव को मज़बूत करने, बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सी.सी.ई. के अंतर्गत विद्यालयों में नियोजित तरीकों से रुचिकर अधिगम, शिक्षण कार्य समीक्षा, शैक्षिक स्तर के अनुरूप शिक्षण, आकलन में वस्तुनिष्ठता, व्यापकता एवं समग्रता को समावेशित किया गया है। शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया के दस्तावेज़ीकरण के साथ-साथ बच्चों की शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों से साझा किया जाता है।

निष्कर्ष

परंपरागत मूल्यांकन पद्धति जो पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाई गई विषयवस्तु को रटकर अर्जित जानकारी के आकलन तक सीमित थी अब उसमें काफी बदलाव आ चुका है। आजकल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ही बात हो रही है। मूल्यांकन की सतत एवं व्यापकता, अधिगम का

राज्य में गुणवत्ता शिक्षा हेतु सहभागी संस्थाएँ

बी.आर.सी. — ब्लॉक संसाधन केंद्र
डी.आई.ई.टी. — ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
एस.सी.ई.आर.टी. — राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
एस.आई.ई.एम.ए.टी. — राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान
एस.एम.एस.ए. — समग्र शिक्षा अभियान
डी.ओ.एस.ई. — माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
डी.ओ.ई.ई. — प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय
यू.एन.आई.सी.ई.एफ. — संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष शिक्षा सभी के लिए है, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र निर्माण की प्रथम सीढ़ी है।

© NCERT not to be republished

ही एक हिस्सा है जो अधिगम को स्थायी एवं प्रभावी बनाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत प्रवाहमान है यह कदाचित समय सापेक्ष नहीं है। सी.सी.ई. को लागू करने में शिक्षक एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। विद्यालयों में सी.सी.ई. की मूल धारणा के अनुरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से शिक्षक व बच्चों के मध्य, संवाद की स्थिति बेहतर हुई है जिससे विद्यालयों में बाल-केंद्रित वातावरण का विकास हुआ है। वर्तमान में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अधिगम प्रतिफल संप्राप्ति के साथ-साथ कक्षावार-विषयवार सीखने में जो कमियाँ रह जाती हैं उसके न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर बच्चों के सर्वांगीण विकास को बल मिला है। सी.सी.ई. कार्यक्रम के प्रभावी संचालन में विभाग, संस्था प्रधान, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समुदाय के साझा सहयोग एवं सहभागिता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्नयन की दिशा में सार्थक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की मूल अवधारणा है। अतः सी.सी.ई. मात्र आकलन में ही बदलाव नहीं है अपितु सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास है।

मूल्यांकन का सातत्य स्वरूप ही वर्तमान युग के विकासमान भारत के लिए सर्वथा समीचीन है। यही वह सकारात्मक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को सचेष्ट बनाने के लिए प्रेरित करती है।

अब कोई ऐसा उपाय किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय को जोड़ा जाए।।

संदर्भ

ट्रांसफ़ोर्मिंग एजुकेशन इन राजस्थान इनिसिएटिव फ़ॉर क्वालिटी एजूकेशन 2018. आर.सी.ई.ई. (सर्व शिक्षा अभियान) राजस्थान.

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009. *भारत का राजपत्र*, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* 2005. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

शिविरा पत्रिका. (अक्तूबर, 2013 और अक्तूबर, 2014). सी.सी.ई. विशेषांक. अंक 4. माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान.

सतत एवं समग्र मूल्यांकन सभी बच्चे सीखें 2015 (सर्व शिक्षा अभियान), राजस्थान विवरणिका.

सी.सी.ई./सी.सी.पी./ए.बी.एल. आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल. 2017. एस.आई.ई.आर.टी., राजस्थान.

© NCERT not to be republished